

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

उपखण्ड, साधोवारी मुकाम नीमराना (अलवर)
साधावारी वनाम सादराम
दाया नं० 3380 सन् 26/10/15

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामिल
में जारी हुए

30-12-15 को जज के कोरत उपखण्ड
 वापस कोषाजके प्रतिवादीजय द्वारा सप्त
 पत्र को पत्रावली नं० 30-12-15 को पेश
 की गयी

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

30
12
15

आज पत्रावली पेश हुई। वकूल...
 पीठासीन अधिकारी अलवर/...
 मिति में पधारें है। पत्रावली उनके
 समक्ष दि 08-3-16 को पेश हो। प्रतिवादीजय
 192 ने वकूल... पत्र किया है।

8
3
16

आज पत्रावली पेश हुई। वकूल...
 पीठासीन अधिकारी अलवर/...
 मिति में पधारें है। पत्रावली उनके
 समक्ष दि 3-3-16 को पेश हो।

30
3
16

आज पत्रावली पेश हुई। वकूल...
 पीठासीन अधिकारी अलवर/...
 मिति में पधारें है। पत्रावली उनके
 समक्ष दि 25/4/16 को पेश हो।

25-4-16

आज पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने
 कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली नं०-222
 पत्रावली दि 12-6-16 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, नीमराना

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

आगे) जहाँ की सूचना ही प्राप्त हुई।
इससे प्रतीत होता है कि वही वहाँ जाकर
ही गद्दी चाहते हैं। अतः वही काषाड अफ
पैरवी अफम दोजरी में खारिज किया जाता है।
पैरवी सुमार होकर गम्बर से वसूली होना
तकमील दारखल कर्तव्य है।

क/

उपरखण्ड अधिकारी
नीमराणा (अलवर) राज्य